SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998 IN THE COURT OF--------- J.M.F.C., Gohad, DIST-. Bhind (M.P) Complaint or report madeon Name and address of the Complement after to your got क्षिक्र १९४४ Name, parentage, caste and address of accused D त्रम्हणण 510 कल्लाम mist a 10 वार काड गाहर The offence, complainant of, and date of, its alleged commission आप पर आरोप है कि दिनांक 23-11-13 मुकाम में आम रोड परहार्थ करते हुये मार्ग में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे जो कि धारा 34-3 पुलिस अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो। The plea of the accused and his examination (if any) यतः मजिन Dio 50

The offence proved. If any and in case under clasue(d) clasuse(f) clause(g) of sub section 260 the value of

the property in respect of which the offence has been committed.

//निर्णय// (आज दिनांक <u>572 1</u>) को घोषित)

01. अभियुक्त के विरूद्ध धारा असियुक्त के तहत समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।

02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है।

03. अभियुक्त को धारा 34–3 पुलिस अधिनियम के तहत रूपये शब्दों में र्जिंग जाता है। अर्थदण्डं न पटाये

जाने पर 💯 िक का साधारण कारावास की संजा भुगतायी जावे।

04. जप्तषुदा सम्पत्ति कुछ नहीं 🕆

मेरे निर्देशन पर टंकित

गायक विस्ता ?